तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

28.04.2025

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अपीलांट वकील उपस्थित।

पूर्व में प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया गया। विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलांट का सही नाम बाबू खां है, लेकिन जब विरासत का नामान्तरकरण भरा गया तब पटवारी हल्का ने अपीलांट के भाई रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का तो सही नाम अंकित कर दिया, लेकिन अपीलांट का नाम अब्दुल रजाक उर्फ बुन्दू अंकित कर दिया, जिसकी सरपंच, ग्राम पंचायत ने भी कोई जांच नहीं की और सरसरी तरीके से ही नामान्तरकरण जेरे बहस तस्दीक कर दिया, जबकि अपीलांट का वास्तविक नाम बाबू खां है, जिसकी मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य खातेदारी की आराजीयात में अंकित नाम से पुष्टी होती है। इसलिये नामान्तरकरण निरस्त योग्य है।

अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की साबिक आराजी खसरा नंबर 1145, 1565, 1566, 2570, 2571 कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा के बने हाल नवीन खसरा नंबर 2359 रकबा 0.23 है0 वाके पटवार मण्डल चौथ का बरवाड़ा ए तथा नवीन खसरा नंबर 3272 रकबा 1.08 है0, खसरा नंबर 4491 रकबा 0.52 है0 वाके पटवार मण्डल चौथ का बरवाड़ा बी में अपीलांट का नाम गलत दर्ज होने एवं वल्दियत भी दीन मोहम्मह के स्थान पर दीन दर्ज होने से अपीलांट अपने हिस्से की आराजीयात पर मिलने वाले लाभों से वंचित रहा है। अतः नामान्तरकरण जेरे बहस निरस्त योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट का नाम नामान्तरकरण संख्या 624 निर्णय दिनांक 12.02.1974 में अब्दुल रजाक उर्फ बुन्दू के स्थान पर बाबू खां करने हेतु निवेदन किया है। रेस्पो0 संख्या 1 व 3 बावजूद तामील अनुपस्थित बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः रेस्पो0 संख्या 1 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी।

मैंने अपीलांट के विद्वान वकील की बहस सुनी, जिसमें उसने अपील के कथनों का दोहरान किया।

मैंने अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा स्थायी जमाबंदी दिनांक 09.10.2022 खसरा नंबर 4690, 4691, 4692, 4693/4983, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का सही नाम बाबू खां पुत्र दीन मोहम्मद ही है। विवादित नामान्तरकरण संख्या 624 में पटवारी द्वारा अपीलांट का नाम अब्दुल रजाक उर्फ बुन्दू एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता का नाम दीन गलत अंकित किया गया है। अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपीलांट [illegible] नामान्तरकरण संख्या 624 निर्णय दिनांक 12.02.1974 ग्राम [illegible] का बरवाड़ा को निरस्त किया जाकर तहसी[illegible] साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि [illegible] अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता के [illegible] जानकारी कर एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] बरवाड़ा (स0 मा0)

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.08 11:07:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner